न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 66/2018

1. बलकरण सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख आयु 54 वर्ष निवासी चक 63 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक :07/01/2019

प्रकरण के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम चक 63 एफ के खाता संख्या 108/35 में सहखातेदारान कौर सिंह आदि के साथ 2.437 है. बहिस्सा बराबर भूमि बतौर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी व उसके भाई कौर सिंह व जलन्धर सिंह ने उपरोक्त भुमि तत्कालीन खातेदारान जीवन सिंह, लाल सिंह पिसरान प्रेम सिंह निवासीगण 63 एफ से जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.06.1968 के खरीद की हुई है। यह भूमि खरीद किए जाने के बाद इसका राजस्व रिकॉर्ड में अकन करवाने हेतु बैयनामा एवं प्रार्थना पत्र तत्कालीन हलका को दिया गया जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 57/29 दिनांक 10.10.1977 से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। वादी का सही नाम बलकरण सिंह पुत्र बुध सिंह है और इसी नाम से भूमि का बैयनामा करवाया हुआ है और नामान्तरण संख्या 57/29 में भी बलकरण सिंह पुत्र बुध सिंह अकित किया हुआ है परन्तु इस नामान्तरण के आधार पर बनने वाली जमाबन्दी में सहवहन से वादी का नाम बलकरण सिंह पुत्र बुध के स्थान पर बलवन्त सिंह पुत्र बुध सिंह अकित कर दिया गया और इस जमाबन्दी के बाद बनने वाली समस्त जमाबन्दीयों में भी यह त्रुटि इसी अनुसार होती चली गई इस लिपिकीय त्रुटि को वादी सशोधित करवाने का अधिकारी है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों में यह त्रुटि एक सदभाविक लिपिकीय त्रुटि है। इससे शेष खातेदारो के अधिकारो पर कोई प्रभाव नही है और न ही उनके विरूद्व कोई अनुतोष चाहा गया है। इस त्रुटि का ज्ञान होने पर वादी के द्वारा राजस्व पटवारी एवं तहसीलदार से इसे सही करने को कहा तो उन्होनें इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। तहसीलदार राजस्व को बतौर लैण्ड होलडर होने पर आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 108/35 में अकित नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह,बलवन्त सिंह पिसरान बुध सिंह के स्थान पर कौर सिंह, जलन्धर सिंह बलकरण सिंह पिसरान बुध सिंह अकित किए जाने के आदेश दिए जावे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलाया जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बलकरण सिंह पुत्र बुधसिंह के नाम से चक 63 एफ का इंतकाल संख्या 57 बैयनामे का स्वीकृत है, जिसमें नाम बलकरण सिंह के नाम से ही स्वीकृत है, लेकिन सम्वत 2042 ता 46 की जमाबंदी बनाते समय गलती से बलवंत सिंह पुत्र बुध सिंह दर्ज हो गया है जो कि वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 108 में भी नाम बलवंत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सिंह ही दर्ज है। जो कि शुद्ध किया जाकर बलकरण सिंह किया जाना उचित है। मौके पर प्रार्थी स्वयं काश्त करता है।

बहस सुनी गई। वकील वादी के द्वारा वादपत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया वादी के द्वारा चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 108/35 में अकित नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह, बलवन्त सिंह पिसरान बुध सिंह के स्थान पर कौर सिंह, जलन्धर सिंह बलकरण सिंह पिसरान बुध सिंह अकित किए जाने बाबत निवेदन किया है वादी के द्वारा अपने वादपत्र के साथ बैयनामा दिनांक 25.06.1968 की स्वय प्रमाणित प्रतिलिपि व चक 63एफ के नामान्तरण संख्या 57 की प्रमाणित प्रति चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2037 के खाता संख्या 76 की प्रमाणित प्रति तथा चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 108/35 की प्रमाणित प्रति पेश की है। बैयनामा में नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह , बलकरण सिंह पिसरान बुध सिंह अकित है। एवं इस बैयनामा के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 57 में भी नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह, बलकरण सिंह पिसरान बुध सिंह दर्ज है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2037 के खाता संख्या 76/29 में नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह, बलवन्त सिंह, पिसरान बुध सिंह अकित है और इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 108/35 में नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह, बलवन्त सिंह, पिसरान बुध सिंह अकित है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उक्त अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 108/35 में अकित नाम कौर सिंह, जलन्धर सिंह,बलवन्त सिंह पिसरान बुध सिंह के स्थान पर कौर सिंह, जलन्धर सिंह बलकरण सिंह पिसरान बुध सिंह अकित किए जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन एवं रहन बदस्तुर रहेगे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner